कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

सहयोग पोर्टल पर परिवादी श्री चन्द्र शेखर प्रसाद (परिवाद संख्या- REF191915) एवं श्री संजय कुमार (परिवाद संख्या REF184563) द्वारा दर्ज परिवादों तथा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली द्वारा किए गए पत्राचार के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिले में कार्यरत कतिपय सेवा पूर्व प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में भारी विसंगति हुई है।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 07/मु0-01-154 /2020/2217 दिनांक 10.12.2024 में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि विभागीय संकल्प संख्या- 1811 दिनांक 22.09.2015 के प्रावधानों के तहत वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 01.07. 2006 के पश्चात् हुई है तथा 01.07.2015 तक जिनकी सेवा 09 वर्ष से कम है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में दो से अधिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के उप सचिव के ज्ञापांक- 11/वि 1-08/2013 (अंश-II) 3068 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा कनीय शिक्षक के अनुरूप मूल वेतन निर्धारित करने के संबंध में (विभागीय आदेश ज्ञापांक-1816 दिनांक-12.11.2021 की कंडिका-7(iii) के आलोक में) स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली के द्वारा विभिन्न पत्र के माध्यम से वैसे शिक्षकों को लाभ देने हेतु आदेश निर्गत किए गए हैं एवं उक्त आदेश के आलोक में शिक्षकों ने भी कनीय के समकक्ष वेतन के नाम पर अधिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है, जो विभागीय निर्देशों के तहत वास्तव में इस लाभ के हकदार नहीं थे।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों के आलोक में विभागीय निर्देश के विपरीत किए गए वेतन वृद्धि को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नियम के विरुद्ध वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने वाले वैसे सभी नियोजित/विशिष्ट शिक्षक तथा स्थानांतरण होकर चले गए शिक्षकों की सूची एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे तथा चिन्हित किए गए वैसे सभी शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विभागीय नियमानुसार (ज्ञापांक 3068 एवं 2217 के आलोक में) तत्काल संशोधन की कार्रवाई करें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली को निदेश दिया जाता है कि नियम के विरुद्ध निर्धारण के फलस्वरूप शिक्षकों द्वारा ली गई अधिक राशि की सटीक गणना करते हुए अविलंब उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
05.06.26

ज्ञापांकः-1161 हाजीपुर दिनांकः-05/06/26

प्रतिलिपिः-वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
05.06.26

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक .....

संचिका संख्या–07/मु0–01–154/2020 ...../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0–8377/2019 नन्दवीर तिवारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 08.04.2024 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. याचिका सं0–8377/2019 में दिनांक 08.04.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

" Considering the facts abovementioned, I dispose of the present writ application with a direction to the respondent no.3 to consider the representation of the petitioners after affording opportunity of personal hearing or through their counsel and pass a reasoned and speaking order in accordance with law within a period of ten weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

It is made clear that respondent no.3 shall be liable for non-compliance of this order within the stipulated period. "

3. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि अप्रशिक्षित शिक्षक जो दिनांक 01.07.2006 के बाद सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं, उन्हें विभागीय संकल्प सं0–1530 दिनांक 11.08.2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रभावी वेतनमान में तीन वेतन वृद्धि की अनुमान्यता देते हुए वेतन का निर्धारण किया गया है। वादीगण जो स्नातक की योग्यता रखते हैं तथा प्रशिक्षित भी हैं को मात्र दो वेतन वृद्धि देते हुए, वेतन निर्धारण किया गया है। वादीगण का यह भी कहना है कि विभागीय नियम/प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक वरीय शिक्षक माने गये हैं। इसलिए उन्हें भी तीन वेतन वृद्धि की अनुमान्यता देते हुए वेतन निर्धारण किया जाय।

4. माननीय न्यायालय द्वारा याचिका सं0–8377/2019 में दिनांक 08.04.2024 को आदेश पारित करते हुए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में याचिकाकर्त्ता को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक 05.11.2024 को अपराह्न 3:00 बजे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2539 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में अंकित है कि वादीगण की सेवा नौ वर्ष से कम होने के कारण विभागीय ज्ञापांक–1811 दिनांक 22.09.2015 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में दो वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर दिनांक 01.07.2015 से प्रभावी किये गये वेतन का निर्धारण किया गया है।

6. अंकनीय है कि संकल्प संख्या–1530 दिनांक–11.08.2015 के क्रम में वित्त विभाग के परामर्श के उपरांत संकल्प संख्या–11/वि01–18/2013/1811 दिनांक–22.09.2015 के द्वारा निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है:–

(i) कंडिका–1.4 में उल्लेखित है कि नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमावली दिनांक 01.07.2006 से प्रभावी हुई है जिसपर प्रथम नियोजन सितम्बर 2006 में किया गया है, अतः इस श्रेणी में आने वाले शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में दो से अधिक वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

(ii) कंडिका–1.5 में उल्लेखित है कि शिक्षामित्र जिन्हें दिनांक 01.07.2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया है, केवल उनके मामले में दिनांक 01.

07.2015 को 09 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के आधार पर तीन वेतन वृद्धि की अनुमान्यता होगी।

7. उपरोक्त संकल्प संख्या–1530 दिनांक–11.08.2015 एवं संकल्प संख्या–11/वि01–18/2013/1811 दिनांक–22.09.2015 दोनों को किसी भी स्तर से हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त दोनों ही प्रभावी है।

8. उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में वादीगण जिनकी नियुक्ति 01.07.2006 के पश्चात् हुई है, की 01.07.2015 तक की सेवा 09 वर्ष से कम होने के कारण वादीगण के मामले में कंडिका–1.4 का प्रावधान लागू होता है। इसलिए इन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धि से अधिक नहीं दिया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं के दावा को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(पंकज कुमार)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/मु0–01–154/2020 .... पटना, दिनांकः–..............................

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना), मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/मु0–01–154/2020 .... पटना, दिनांकः–..............................

प्रतिलिपिः– नन्दवीर तिवारी, मुजफ्फरपुर एवं अन्य संबंधित वादीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/मु0–01–154/2020 ..2217.. पटना, दिनांकः–10/12/2024

प्रतिलिपि–आई0टी0मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/12/2024
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।